मूलवाद 2024/004

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
सागर बनाम दारा सिंह
विविध प्रार्थना संख्या 2024/003
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
06.02.2024	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अमनदीप सिंह द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस अधिवक्ता, शपथ–पत्र एवं सलग्न दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्ष प्रश्नगत आराजी चक 1 एच बड़ा, पटवार हल्का मदेरां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवपुर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 24/49 के मु0नं0 33 की कुल 6.260 हैक्टे0, मु0नं0 36 के किला नं0 2 सालम कुल खाता जोड 6.513 हैक्टे0 कृषि भूमि में अप्रार्थी के नाम दर्ज 434/2171 अर्थात् 1.302 हैक्टे0 हिस्सा नहरी व खाता संख्या 106/67 के मु0नं0 14, 20, 21, 27, 36 की कुल 12.664 हैक्टे0 भूमि में अप्रार्थी दारा सिंह के नाम से 35/12664 हिस्सा अर्थात् 0.035 हैक्टे0 व 117/3166 हिस्सा अर्थात् 0.468 हैक्टे0 इस प्रकार दोनों खातो की कुल 1.805 हैक्टे0 कृषि भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त निषेधाज्ञा अन्य किसी प्रकार के वाद सीमाज्ञान, रास्ता, खाला, बैक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नही होगी। इस संबंध में कोई उज्र/ऐतराज हो तो वकालतन/ असलतन आगामी तारीख पेशी तक जाहिर करे अन्यथा क्यों ना अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म कर दी जावे। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 10 दिवस में रसीदें पेश करे। इसके अभाव मे अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण के नाम से रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 04 मार्च, 2024 को पेश हो। [signature] प्रिया चौधरी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:07:49 IST
Reason: SelfAttested

28.10.24 — अधिवक्ता प्रार्थी उप० प्रार्थी अधिवक्ता को अप्रार्थी क्र. 01 की तलबी हेतु सही पता सहित [illegible] की हिदायत दी गई। अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 09.12.24 को पेश हो।

09.12.24 — अधिवक्ता प्रार्थी उप० प्रार्थी अधिवक्ता को अप्रार्थी क्र. 01 की तलबी हेतु ~~[illegible]~~ पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है ~~परन्तु~~ प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी क्र. 01 की तलबी आदिनांक तक नहीं करवाई। प्रार्थी अधिवक्ता [illegible] की तलबी आवश्यक [illegible] अन्यथा आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 26.12.24 को पेश हो।

26-12-24 — ाज बार सघ न कार्य नहीं कर
का निर्णय लिया है। पत्रावली
र्वानुसार दिनांक 10-1-25
ो पेश हो।

10.01.25 — अधिवक्ता प्रार्थी उप० प्रार्थी अधिवक्ता को अप्रार्थी क्र. 01 की तलबी हेतु प्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिये जाकर दिनांक 09.12.24 को आदेश 9 नियम 5 CPC के तहत कार्यवाही करने की हिदायत दी गई थी। परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी क्र. 01 की तलबी आदिनांक तक नहीं करवाई है। अतः तलबी आदिनांक तक RTA क्र. 2024/003, वि. [illegible] 212 RTA [illegible] अन्तर्गत [illegible] के तहत में आदेश 9 नियम [illegible] कार्यवाही [illegible] पत्रावली तकमील पर [illegible] हो। पत्रावली दायरा पंजिका में दर्ज होकर बाद तकमील शामिल मिसल की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:07:49 IST
Reason: SelfAttested